राष्ट्रीय लोक अदालत –2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्याः– 118/15
जीसीएमएस न :– 2015/00155

निर्णय दिनांक 11.02.2023

बउनवान

1. मथुरालाल आत्मज रामनारायण जाति किराड निवासी ग्राम लोढाहेडा तहसील कनवास।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।
2. श्योनारायण पुत्र रामनारायण जाति किराड निवासी ग्राम लोढाहेडा तहसील कनवास।
3. रामनारायण आत्मज लटूरलाल जाति किराड निवासी खेडा किशनपुरा तहसील कनवास।
4. शिवराम पुत्र लटूरलाल जाति किराडा निवासी खेडा किशनपुरा तहसील कनवास।
5. ओमप्रकाश पुत्र लटूरलाल जाति किराड निवासी ग्राम खेडा किशनपुरा तहसील कनवास।
6. रमेश पुत्र लटूरलाल निवासी खेडा किशनपुरा जाति किराड तहसील कनवास।
7. मदनलाल पुत्र रामरतन जाति किराड निवासी खेडा किशनपुरा तहसील कनवास।
8. जयकिशन पुत्र रामरतन जाति किराड निवासी खेडा किशनपुरा तहसील कनवास।
9. कमला बाई बेवा रामरतन जाति किराड निवासी ग्राम खेडा किशनपुरा तहसील कनवास।

(नाम डिलीट) स्वर्गवास

10. केली बाई पुत्री लटूरलाल जाति किराड निवासी खेडा किशनपुरा तहसील कनवास।
11. घीसी बाई बेवा लटूरलाल जाति किराड निवासी खेडा किशनपुरा तहसील कनवास।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री ओमप्रकाश शर्मा ।
प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।
प्रतिवादी गण 2 लगायत

दावा अन्तर्गत धारा 48,49, 88, 89, 92A, 188 आरटीएक्ट

निर्णय

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 49 88 89 92ए, 188 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा तहसील सांगोद में वर्तमान कनवास में खाता संख्या नयी 82 पुरानी 87 की खसरा नं0 307 रकबा 0.90 हैव, खसरा नं0 308 रकबा 0.39 है0 कुल किता 2 की रकबा 1.29 है0 आराजी मुताबिक सम्वत् 2068–2071 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी पत्र के साथ संलग्न है। यह है कि वादी द्वारा वाद पत्र की मद नं0 01 में वर्णित आराजी के मुताबिक खसरा मिलान क्षेत्रफल (2058) के पूर्व खसरा क्रमांक 125/183 रकबा 8 बीघा रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

यह है कि वादी द्वारा वाद पत्र की मद नं0 01 में वर्णित आराजी के मुताबिक खसरा मिलान क्षेत्रफल खसरा क्रमांक 125/183 रकबा 8 बीघा सम्वत् 2053 से 2056 की जमाबन्दी वादी मथुरालाल वल्द रामनारायण के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। जमाबन्दी सम्वत् 2053–2056 वाद पत्र के साथ संलग्न है।

यह है कि वादी द्वारा वाद पत्र की मद नं0 01 में वर्णित आराजी खसरा नं0 307 रकबा 0.90 है0 खसरा क्रमांक 308 की रकबा 0.39 जिसके सेटलमेन्ट हाल 2058–2077 के पूर्व खसरा क्रमांक मि0 125/183 रकबा 8 बीघा रहे हैं को दिनांक 18/3/68 को पूर्व खातेदार पुरूषोतम लाल, मोहनलाल सोरल वल्द मथुराप्रसाद जी सोरल कौम ब्राह्मण साकिन कोटा जिला कोटा से रजिस्टर्ड बैनाम से खरीद किया है। जिस पर वादी वक्त खरीद से आज दिनांक तक यानी करीब 47 वर्ष से काबिज काश्त होकर वाद ग्रस्त आराजी का उपयोग उपभोग कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है।

यह कि वादी द्वारा सन 1968 में वाद ग्रस्त आराजी पुरूषोतम लाल, मोहनलाल सोरल आत्मज मथुरा प्रसाद सोरल से क्रय की है। पूर्व खातेदार पुरूषोतम लाल, मोहनलाल वल्द मथुरा प्रसाद के खातेदारी में ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा में खसरा नम्बर 125 की करीब 396 बीघा आराजी खातेदारी में रही है। खसरा नम्बर 125 की रकबा करीब 57 बीघा का रहा है। उसमें से कुछ आराजी गैर मु0 खाल खद्दर व रास्ता में दर्ज कर दी गई। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा नं0 125 का रकबा नक्शा ट्रेस में ईकजाई ही दर्ज रहा है। खातेदार सोरल द्वारा खसरा नम्बर 125 माल ग्राम चरचड़िया उर्फ काशीपुरा की आराजी अनेक किसानों को विक्रय रजिस्टर्ड बेनामों से की है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा वक्त बैचान के बाद जर्ये बैनामा से खरीद की गई आराजीयात के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तो विभाजित खसरा क्रमांक कर दर्ज कर दिये परन्तु नक्शा सीट में बैनामों के आधार पर खातेदारी में तो विभाजित खसरा क्रमांक दर्ज कर दिये, परन्तु नक्शा सीट में खसरा नं0 125 में विभाजित खसरा क्रमांक का अंकन नहीं किया। इस कारण खसरा क्रमांक 125 का बडा रकबा मौके पर तो खरीद अनुसार मौके पर संभलाए कब्जे अनुसार कृषक काश्त करते रहे परन्तु नक्शा सीट में ईकजाई ही दर्ज रहा, जिसके कारण सेन्टलमेन्ट 2058–2077 के दौरान कृषकों को बिना सुनवाई का अवसर दिए व बिना मौके पर कब्जे काश्त के तथ्यों पर गौर किए बिना मनमाने तरीके से नक्शा सीट में खसरा नम्बरान का अंकन कर दिया गया।

यह कि नक्शा सीट में वर्तमान सेन्टलमेन्ट हाल द्वारा किए गए अंकन के कारण वादी के कब्जे काश्त की खसरा नम्बर मि0 125/183 रकबा 8 बीघा के परिवर्तित खसरा क्रमांक 307 रकबा 0.90 है0 एवं खसरा क्रमांक 308 रकबा 39 है0 कायम कर दिए एवं उक्त नम्बरान को नक्शा सीट में सेन्टलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उनके 47 वर्ष से चली आ रही कब्जे काश्त की भूमि को खसरा क्रमांक 303,304 में मिलाकर दर्ज कर दिया यानी वर्तमान नक्शा सीट में वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि को गै0मु0 खाल खद्दर 303 में दर्ज कर दिया। जबकि वर्तमान नक्शा सीट में अंकित खसरा नम्बर 303 रकबा 3.70 है0 आराजी मौके पर खाल खद्दर नहीं होकर काबिज काश्त भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 303 की उत्तरी दिशा में ही वादी मौके पर वक्त खरीद से ही काबिज काश्त है।

यह है कि प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 11 द्वारा भी पूर्व खातेदार पुरूषोतम लाल व मोहनलाल सोरल निवासी कोटा से ही आराजी क्रय की है। उनकी खातेदारी की आराजी को भी उनके कब्जे काश्त से नक्शा सीट में भिन्न स्थान पर दर्ज कर दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

यह है कि प्रतिवादी कमांक 2 की आराजी खसरा कमांक 304 को भी उसके कब्जे काश्त से भिन्न स्थान खसरा नं0 301 में दर्ज कर दिया यानी उसके कब्जे काश्त की आराजी को खसरा नं0 301 खाल खद्दर दर्ज कर दिया। इसी प्रकार प्रतिवादीगण 3 लगायत 11 के खातेदारी में वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज खसरा कमांक 280,284,288 को नक्शा बीट में उनके कब्जे काश्त से भिन्न स्थान पर दर्ज कर दिया गया है।

यह है कि वादी द्वारा अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर करीब 20 वर्ष पूर्व पत्थरों का परकोटा किया है, जो विद्यमान है। वादी द्वारा अपने खातेदारी की वर्तमान खसरा कमांक 307,308 जिसके परिवर्तित खसरा कमांक के पूर्व खसरा मि 125/183 रकबा 8 बीघा रहे हैं में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल करीब 15 वर्ष पहले खुदवाया है। जिस पर विधिवत विद्युत विभाग से कनेक्शन ले रखा है। अतार्थ विकसित आराजी विद्यमान है।

यह है कि प्रतिवादीगण 3 लगायत 11 को वर्ष 2014 में सेन्टलमेन्ट की त्रुटि की जानकारी हुई एवं उनके खातेदारी में अंकित आराजी को राजस्व कर्मचारियों उन्हें अवगत कराया एवं कहा कि तुम्हारे खाते में तो विकसित आराजी जिस पर कोट, ट्यूबवेल इत्यादि लगे हुए है। वहा से तुम जबरन खाल खद्दर में क्यों काश्त करते हो। प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2014 जुलाई में सेन्टलमेन्ट विभाग की उक्त त्रुटि पूर्ण नक्शा सीट के अंकन का फायदा उठाने की गरजसे हल्का पटवारी से मिलीभगत कर पैमाईस का प्रार्थना पत्र तहसीलदार कनवास को पेश किया एवं तहसीलदार के आदेश से तीन पटवारियों का पैनल दिनांक 15.07.2014 को मय पुलिस जाप्ते के मौके पर गया एवं मनमाने तरीके से गलत पैमाईस रिपोर्ट लालच बनाकर वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी के स्थान पर भी प्रतिवादीगण 3 लगायत 11 खातेदारी की आराजी दर्शायी गई। हल्का पटवारियों के पैनल ने 50–60 वर्ष से कब्जा काश्त वादी का ही माना है। परन्तु उक्त सेन्टलमेन्ट की त्रुटि का फायदा उठाने की नियत से प्रतिवादीगण 3 लगायत 11 जबरन वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करने पर विधि विरूद्ध तरीके से आमदा है। उक्त पैमाईस रिपोर्ट को पुनः करवाने के लिए तहसीलदार साहब से निवेदन किया परन्तु उन्होने पुराने रिकार्ड लाने की बात कही एवं प्रथम दृष्ट्या पैमाईश रिपोर्ट को त्रुटि पूर्ण माना एवं प्रतिवादीगण को तहसीलदार साहब एवं तत्कालीन उपखण्ड प्राधिकारी जी ने समझाईस कर विधि विरूद्ध कब्जा करने से रोका, परन्तु प्रतिवादीगण आये दिन वादी को जबरन उसके खातेदारी व सुस्थापित कब्जे काश्त की आराजी जिस पर विगत 47 वर्ष से उसका बहेसियत कब्जा काश्त है से बेदखल करने पर आमदा है। इस कारण वादी द्वारा राजस्व विभाग से कई नकले व पुराने नक्शा ट्रेस की नकल व सम्बन्धित दस्तावेज निकलवाने के बाद उक्त सेन्टलमेन्ट की त्रुटि को दुरस्त करवाना ही एक मात्र विकल्प होने से माननीय न्यायालय में घोषणा इन्द्राज दुरस्ती व चकबन्दी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक होने से वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह है कि वादी को वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादीगण द्वारा 15.07.2014 को पैमाईस करवाने एवं पैमाईस रिपोर्ट के आधार पर जबरन वादी को बेकब्जा करने पर आमदा होने एवं निरन्तर इसके बाद से विधि विरूद्ध तरीके से वादी को उसके कब्जे काश्त से महरूम करने पर आमदा होने एवं इस वर्ष माह जुलाई में पुनः कब्जा करने की धमकी देने से वाद कारण पैदा हुआ है।

यह है कि वाद में राजस्थान सरकार पक्षकार है, राजस्थान सरकार वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार की हैसियत में उनके विरूद्ध वाद प्रस्तुती के पूर्व 2 माह का सूचना पत्र

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

देना आवश्यक है। वादी द्वारा औपचारिक तौर पर तो राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से तहसीलदार को लिखित रूप में उक्त त्रुटि संशोधित करने हेतु अवगत कराया है परन्तु कानूनी फॉर्म में सूचना पत्र नहीं दिया गया है।

यह है कि क्योंकि वाद अर्जेन्ट प्रकृति का होने एवं वाद प्रस्तुती के पूर्व 2 माह के सूचना पत्र में लगने वाले समय में वाद के पूर्ण विफल होने की संभावना होने से नोटिस देना संभव नहीं होने से धारा 80 (2) सी0पी0सी0 के अनुमति प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र के साथ वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह है कि वाद ग्रस्त आराजी माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा में स्थित होने से प्रस्तुत वाद का क्षेत्राधिकार व क्षवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

यह है कि वाद का मूल्यांकन घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व चकबन्दी हेतु 2000 रूपए नियत किया जाकर वाद अवधी मध्य 1 रूपए के निश्चित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के खातेदारी में वर्तमान राजस्व अभिलेख दर्ज खसरा क्रमांक 307 रकबा 0.90 है0 व खसरा नम्बर 308 रकबा 0.39 है0, आराजी को नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 303 रकबा 3.70 है0 आराजी के उत्तरी तरफ अंकित किया जावे या विकल्प में वादी का यह भी निवेदन है कि वादी को खसरा नम्बर 303 रकबा 3.70 है0 के उत्तरी तरफ की 1.29 है0 आराजी का काश्तकार घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में उक्त अनुसार संशोधन करने की घोषणा पारित की जावे व इसके अनुरूप नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात किए जावे। तथा वादी के खातेदारी में एवं कब्जे काश्त की अपशुदा आराजी जिसमें वादी मौके पर कब्जे काश्त में हैं उसमें ताकत के बल पर प्रतिवादीगण 3 लगायत 11 मदाखलत मजामहत नहीं करें न तो स्वयं करें नहीं अपने नौकरों व एजेन्टों से करावे। वादी को उसके सुस्थापित कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलवी जर्ये सम्मन की गई प्रतिवादी क्रम 2, 4, 7 उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादी क्रम 02 की तामिल पुत्र को दी गई बावजूद सूचना अनुपस्थित शेष प्रतिवादीगण 3,5,6,8,11 बावजूद सूचना अनुपस्थित प्रतिवादी नं0 10 केलीबाई की तामिल अदम प्राप्त व प्रतिवादी नं0 9 फौत हो चुकी है। वकीलवादी उपस्थित प्रतिवादी नं0 10 तलवी हेतु उपस्थित प्रतिवादी 7, 9 की तलवी हेतु तलबान पेश किए गए। प्रतिवादी 9 की पूर्व में ही मृत्यु होना बताया प्रतिवादी 7 की तलवी हेतु तलबान पेश हुआ प्रतिवादी न 10 की तलवी हेतु तलबान पेश हुआ। वकीलवादी प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4, 5, 7 की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया द्वारा यू0टी पेश की। प्रतिवादी क्रम 3, 5 ,6, 8, 11 के सम्मन आदेशिका दिनांक 28. 01.16 को स्वयं को होकर प्राप्त हुए। जो शामिल पत्रावली किए गए। इसके बाद प्रतिवादी क्रम 6,8,11 को आवाज लगाई गई जो उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 30.03.2017 को प्रतिवादी क्रम 6 ,8, 11 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4, 5, 7 के तरफ से श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया द्वारा यूटी पेश की गई थी किन्तु जवाब पेश नही किया है। प्रतिवादीह वकील द्वारा प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4, 5, 7 की ओर से no instruction किया। पत्रावली में दिनांक 30.06.2022 को प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4, 5, 7 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई पत्रावली में वादी की प्रार्थना पत्र प्रतिवादीक्रम 9 के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र बाबत नाम डिलीट किये जाने हेतु स्वीकार किया गया। पत्रावली पर संशोधित टाईटल पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली काफी समय से जवाब सरकार बन्द किया गया पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी में नियत की गई वादी द्वारा स्वयं मथुरालाल का शपथ पत्र पेश हुआ जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली बहस में नियत की गई पत्रावली आज राष्टीय

Scanned with ACE Scanner

लोक अदालत पर पेश हुई पत्रावली पर दिनांक 05.01.2023 को बहस एक तरफा सुनी जाकर आज आदेश में नियत है पत्रावली पर वादी का शपथ पर पेश किया गया पत्रावली पर वादी द्वारा शपथ पत्र पर पेश कर दस्तावेज प्रदर्श कराये जा चुके है। पत्रावली पर प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेजो व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास में स्थित वादी के सारे राजस्व अभिलेख दर्ज खसरा नं0 308 की रकबा 0.39 है0 एवं खसरा नं0 307 की रकबा 0.90 है0 आराजी को नक्शा ट्रेस में खसरा नं0 303 की रकबा 3.70 है0 आराजी के उत्तरी तरफ अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा वादी के पक्ष इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि प्रतिवादीगण 3 लगायत 11 वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Scanned with ACE Scanner